लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/शिक्षक प्रोत्साहन/2010–11/204 भोपाल, दिनांक 30.08.2010

1. जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
4. समस्त आहरण संवितरण अधिकारी म.प्र.।

विषयः– उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान हेतु शिक्षक की जानकारी की एन्ट्री के संबंध में।
संदर्भः– म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र.एफ27–83/2009/20–2 भोपाल दिनांक 26/12/09

आपको ज्ञात ही है कि शिक्षक दिवस 5 सितम्बर, 2010 को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में जिला स्तर पर शिक्षकों को संदर्भित आदेश के अनुरूप एजुकेशन पोर्टल के शिक्षक पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार चयन उपरांत सम्मानित किया जाना है। इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालको तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 17 अगस्त, 2010 एवं दिनांक 27 अगस्त, 2010 को सम्पन्न विडियो कान्फ्रेसिंग के अवसर पर विस्तृत निर्देश दिये गये है। दिनांक 20 अगस्त, 2010 को एडूसेट के माध्यम से प्रदेश के 2000 से अधिक प्राचार्य उ0मा0वि0/हाईस्कूलों को भी निर्देशों की जानकारी दी गई। प्रदेश के समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्ति का प्रकाशन भी हुआ है। फलस्वरूप दिनांक 30 अगस्त 2010 समय दोपहर 2:00 बजे **तक 739 ऑन लाईन प्रविष्टियॉ हुई है**। जिनके विश्लेषण से स्पष्ट है कि 20 जिलों में प्रविष्टियों की संख्या संतोषजनक है किन्तु 09 जिलों में एक भी प्रविष्टि नहीं हुई है तथा 21 शेष जिलों में प्रविष्टियां तो हुई है किन्तु पर्याप्त मात्रा में नही है। यह भी परिलक्षित हो रहा है कि विशेष श्रेणी, संस्कृत पाठशाला, अरबी–फारसी के शिक्षक तथा विशेष श्रेणी के शिक्षकों की संख्या कम है।

प्रायवेट संस्था प्रधान/शिक्षकों की प्रविष्टियां भी कम है। आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा पुष्टि किये गये रिकार्डो की संख्या बहुत कम है। अतः निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. पूर्व में 30 अगस्त 2010 तक प्रविष्टि की तिथि निर्धारित थी इसके स्थान पर यह तिथि 01 सितम्बर, 2010 की जाती है तथा आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा लॉक करने की तिथि 02 सितम्बर, 2010 की जाती है तथा जिला शिक्षा अधिकारी के लिए 03 सितम्बर, 2010 निर्धारित की जाती है।
2- आहरण संवितरण अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।
3. आदिवासी विकास विभाग/जिला/ विकासखण्ड में जिला संयोजक, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए।
4. जिले के शिक्षकों से आव्हान किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में प्रविष्टि करें।
5. ऑन लाईन प्राविष्टि की प्रक्रिया में निम्न का ध्यान रखा जाये :–
   1. एजुकेशन पोर्टल यदि आपके कम्प्यूटर में लोंडेंड इंटरनेट ब्राउजर पर न खुल रहा हो तो दर्शाए गये चार ऑप्शन में से किसी भी एक इंटरनेट ब्राउजर को डाउन लोड कर अपने कम्प्यूटर में सेव करे तथा सेव करने के पश्चात उसे अपने कम्प्यूटर पर इंस्टाल कर लें और फिर लांगिंग करे।
   2. लॉगइन करने के पश्चात लांगआउट अवश्यक करे।
   3. शासकीय विद्यालयों के शिक्षक अपनी यूनिक आई डी तथा पासवर्ड की सहायता से पोटल पर लॉगिंग करे जो उन्हें ई–सर्विसबुक बनाते समय प्रदान किया गया था।

4. अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षक पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षको की जानकारी लिंक पर क्लिक करेंगे तो उन्हें अशासकीय स्कूलों में एन्ट्री करने हेतु लिंक दिखाई पडेगी उस लिंक पर क्लिक करके विभिन्न प्रपत्रों की एन्ट्री हेतु भिन्न भिन्न लिंक दिखाई पडेगी जिसमें शिक्षक की सामान्य जानकारी पर क्लिक करने से वह कम्प्यूटर शिक्षक का नाम पूछेगा। शिक्षक का नाम एन्ट्री करने के पश्चात एक पासवर्ड पूछेगा इस पासवर्ड में आप अपना मनचाहा पासवर्ड दे सकते है। अब इस पासवर्ड से पोर्टल आपके लिए एक लांगिग आई डी क्रियेट कर देगा। इस लॉगिंग आई डी तथा आपके द्वारा एण्टर्ड किये गये पासवर्ड की सहायता से आप शिक्षक सम्मान हेतु अपनी जानकारी प्रविष्ट कर सकेंगे।

5. प्रपत्र "क" में व्यक्तिगत जानकारी सेवा रिकार्ड तथा अनुभव भरने के पश्चात उससे संतुष्ट होने पर उसे लॉग करें।

6. प्रपत्र"ख" में आपके द्वारा प्रश्नों के उत्तर केवल **Y/N** में ही दिये जाने है तथा जिन प्रश्नों में संख्यात्मक जानकारी पूछी गई है उनमें 0 से 9 तक संख्या भी डाले। उदाहरण स्वरूप क्या शिक्षक द्वारा कोई पाठ्यपुस्तक लिखि गई है? इसका उत्तर शिक्षक द्वारा **Y/N** में ही दिया जाए तथा 2009–10 का परीक्षा परिणाम क्या रहा इसके उत्तर में परीक्षा परिणाम का प्रतिशत जैसे 60.23 टाईप किया जाना है। इस प्रपत्र मे कोई भी विस्तृत जानकारी टाईप नही की जाना हैं।

7. प्रपत्र "ख" से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपने डी0डी0ओ0 को पुष्टि हेतु अवलोकन कराये तथा प्रपत्र "ख" पर लॉक करे।

8. संकुल अंतर्गत समस्त शिक्षकों, लॉक किये गये रिकार्ड डी0डी0ओ0 को प्रदर्शित होंगे जब डी0डी0ओ0 एजुकेशन पोर्टल पर डी0डी0ओ0कोड एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिंग होंगे तब डी.डी.ओ. को अपने संकुल अंतर्गत समस्त शिक्षकों द्वारा भरे एवं लॉक किये गये शिक्षकों के रिकार्ड प्रदर्शित होने लगेंगे। अब डी.डी.ओ. को समस्त शिक्षको द्वारा भरे गये प्रपत्र"क" एवं "ख" की पुष्टि शिक्षकों द्वारा प्राप्त दस्तावेंजों के आधार पर करनी होगी। तत्पश्चात् डी.डी.ओ. द्वारा इन पुष्टि किये गये रिकार्ड को लॉक किया जाएगा। यह कार्यवाही डी.डी.ओ. द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2010 तक अनिवार्यरूप से कर दी जाए। प्रत्येक शिक्षक हेतु प्रपत्र **"ग", "घ" एवं "च"** डी0डी0ओ0 द्वारा भरकर लिफाफे में बन्द कर जिला शिक्षा अधिकारी को 02 सितम्बर, 2010 तक सौंपना सुनिश्चित करें।

9. 03 सितम्बर, 2010 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कोड एवं पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिंग किया जाएगा तब शिक्षक पोर्टल पर उन शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होगी जिनके द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान अंतर्गत प्रपत्र "क" एवं "ख" भरे जागर लॉक किये गये है तथा जिनकी संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा पुष्टि की जाकर लॉक किया गया है। अब इस सूची में से एक–एक शिक्षकों की न्यूनतम वांछनीय योग्यता की पुष्टि प्रपत्र "ग", "घ" एवं "च" जो कि आपको डी0डी0ओ0 द्वारा सौंपे गये हैं, के आधार पर आपके द्वारा की जानी है। यदि शिक्षकों की समस्त योग्यताऍ सकारात्मक है तो आपको मूल्यांकन हेतु प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आपको निर्धारित अंक स्क्रीन पर दिखेंगे, अब आपको शिक्षक के दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक का आंकिक मूल्यांकन कर प्रपत्र को लॉक करना होगा।

10. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किये जाने के बाद समस्त शिक्षको की संबंधित जिले की मेरिट सूची दिखने लगेगी। इस सूची को भलीभॉति देखकर लॉक करे तथा प्रिन्ट निकालकर जिला चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त कर तथा हस्ताक्षरित करवा इसे पुनः राज्य स्तरीय शिक्षक

सम्मान हेतु अपलोड करे तथा सूची के अनुसार जिले में 5 सितम्बर, 2010 को शिक्षक सम्मान कार्यक्रम करना सुनिश्चित करे।

किसी भी प्रश्न के लिए श्रीमती संध्या चौधरी,, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय से मोबाईल नंबर–9425372854 तथा श्री धीरेन्द्र सिंह तोमर से मोबाईल नंबर 9893490279 पर संपर्क करे।

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/विद्या/शिक्षक प्रोत्साहन/2010–11/205 भोपाल, दिनांक 30.08.2010

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. तकनीकी संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी) विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश